पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–82/20

1. सादुखां पुत्र खण्डू खां जाति मुसलमान निवासी केलां तहसील छतरगढ़ जि: बीकानेर

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–21.10.2022

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 7 केएलडी वर्तमान चक 10 केएलडी (ए) के मु0नं0 239/44 के किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और उक्त भूमि वर्ष 1975 में पुख्ता आवंटन हुई थी। कम्प्यूटराईज्ड जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सादुखां के स्थान पर साधुखां दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। यह एक लिपिकीय भूल रही है जिसे दुरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। अतः उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम साधूखां के स्थान पर सादूखां दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 242 दिनांक 8.3.22 प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त भूमि साधूखां पुत्र खण्डूखां कौम मुसलमान साकिन 7 केएलडी खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि पूर्व चक 7 केएलडी में गिरदावरी सम्वत् 2036–2039 में नोट अंकित एसीसी के आदेश दिनांक 30.12.1975 के अनुसार सादूखां पुत्र खण्डूखां जाति मुसलमान व गिरदावरी सम्वत् 2041–2044 में भी सादूखां पुत्र खण्डूखां मुसलमान साकिन केला तहसील लूनकरनसर पुख्ता आवंटन दर्ज है व पूर्व चक 7 केएलडी में नामान्तरण संख्या 43 में रहननामा सादूखां पुत्र खण्डूखां मुसलमान के नाम से राजस्थान भूमि विकास निगम बीकानेर के पक्ष में रहन दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम सादू खां दर्ज है। इसके उपरान्त चक 10 केएलडी (ए) के नाम रजि. में ना.सं. 141 पर सादूखां पुत्र खण्डूखां कौम मुसलमान के खातेदारी नामान्तरणकरण करते समय सहवन से साधूखां पुत्र खण्डू का दर्ज कर दिया गया। तब से निरन्तर उक्त रकबा साधूखां के नाम चला आ रहा है जबकि वास्तव में खातेदार का नाम सादूखां पुत्र खण्डूखां है जो शु[illegible] किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में चुनाव परिचयपत्र, आधारकार्ड एवं उक्त आवंटन की मूल आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट

बीकानेर के क्रमांक 2257 दिनांक 23.11.2021 द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि व संबंधित गिरदावरी प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम सादूखां अंकित है।

प्रार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया । बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे मूल आवंटन पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली नकल और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली में प्रार्थी नाम सादूखां अंकित है। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थी के आवेदनपत्र, आवंटन आदेश में सही नाम सादूखां अंकित था किन्तु बाद में राजस्व रिकॉर्ड अंकन में लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम साधूखां दर्ज हो गया है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं इसलिए प्रार्थी का नाम नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम साधूखां की जगह सादूखां नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:21 IST
Reason: SelfAttested